संख्या:81/2021/2269/12-2-2021-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2021

विषय:- फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश में धान की फसल अवशेष को जलाए जाने की घटनाओं पर रोकथाम हेतु कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0) का उपयोग किए जाने तथा विकल्प के रूप में कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य यंत्र जैसे मल्चर, श्रेडर, स्ट्रा रीपर, श्रब मास्टर, रोटरी श्लेसर, रिवर्सिबुल एम0बी0 प्लाऊ तथा स्ट्रा रेक और वेलर का प्रयोग किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या: 34/2020/1898/12-2-2020-14/2016 टी0सी0, दिनांक 24 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- पराली जलने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

(1) शासनादेश संख्या: 30/2020/1760/12-2-2020-14/2016, दिनांक 26 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-6.7 में जैसा कि उल्लेख किया गया है कि कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एस0एम0एस0 का प्रयोग किया जाए तथा सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-2 में वैकल्पिक तौर पर फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्य यंत्रों जैसे मल्चर, श्रेडर, स्ट्रा रीपर, श्रब मास्टर, रोटरी श्लेसर, रिवर्सिबुल एम0बी0 प्लाऊ तथा स्ट्रा रेक और वेलर इत्यादि का उपयोग किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा धान की कटाई के दौरान इन यंत्रों में किसी भी एक यंत्र का उपयोग अवश्य किया जाए,

(2) पराली का उपयोग निराश्रित गौआश्रय स्थल में चारे के रूप में किया जाए। निराश्रित गौआश्रय स्थल में पराली ढुलाई की व्यवस्था वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से की जाए,

(3) ''पराली दो-खाद लो'' कार्यक्रम का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा कृषकों द्वारा पराली जलाए जाने की घटनाओं को हतोत्साहित किया जाए,

(4) मनरेगा के माध्यम से सामूहिक कम्पोस्ट गडढे खुदवाये जायें तथा कम्पोस्ट गडढो में पराली से खाद बनाने को प्रोत्साहित किया जाए,

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) कृषि विभाग द्वारा कृषकों को बायो डिकम्पोजर भी यथासम्भव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बायो डिकम्पोजर का अधिकाधिक उपयोग कराकर पराली को डिकम्पोज किया जाए।

3. कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि जनपदों में फसल अवशेष जलने की एक भी घटना घटित न होने पाए।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:81/2021/2269(1)/12-2-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन,
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, राजस्व, परिवहन, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,उ0प्र0 शासन,
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेसवे औदयोगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0,
5- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ,
6- सदस्य सचिव, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ,
7- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश,
8- समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
9- समस्त उप/संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://srisanadesh.up.gov.in